ई.मेल / डाक

राजस्थान सरकार
(निर्वाचन विभाग)

क्रमांक: प.3(3)(3)रोल / निर्वा / सर्विस वोटर्स–2017 / 2016 / 5097 **जयपुर, दिनांक** 4/8/17

प्रेषक : **मुख्य निर्वाचन अधिकारी,**
राजस्थान, जयपुर।

प्रेषिति : **समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी**
(कलक्टर्स), राजस्थान।
: **समस्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी,**
राजस्थान।

विषय : अर्हता दिनांक 01.01.2017 के संदर्भ में सेवानियोजित मतदाताओं की अन्तिम भाग की मतदाता सूचियों का De novo (नये सिरे से) तैयार करने के संबंध में।

प्रसंग : भारत निर्वाचन आयोग का पत्र क्रमांक 24 / 2016 / LET/FUNC/ ERD/ERS/ दिनांक 14 जुलाई, 2017 एवं पत्र क्रमांक दिनांक 20 जुलाई, 2017 एवं विभाग का पत्र क्रमांक 4037 दिनांक 07.11.2016 एवं पत्र क्रमांक 93 दिनांक 4 जनवरी, 2017

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत विभाग के प्रासंगिक पत्र क्रमांक 4037 दिनांक 07.11.2016 एवं पत्र क्रमांक 93 दिनांक 04.01.2017 के द्वारा राज्य में संदर्भ तिथि 01.01.2017 के क्रम में सेवानियोजित मतदाताओं की मतदाता सूचियों का ऑनलाइन / ऑफलाइन पद्धति से विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण किया गया है तथा तद्नुसार सेवानियोजित मतदाताओं की मतदाता सूचियों का अन्तिम प्रकाशन दिनांक 10 जनवरी, 2017 को किया गया है।

2. भारत निर्वाचन आयोग के प्रासंगिक पत्र दिनांक 14 जुलाई, 2017 (प्रति संलग्न है) जो कि राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों / सेवानियोजित कार्मिकों के पदाधिकारियों को सम्बोधित है से निर्देशित किया गया है कि गत सेवानियोजित मतदाताओं की मतदाता सूचियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण संदर्भ जो कि संदर्भ तिथि 01.01.2017 के क्रम में किया गया है में यह महसूस किया गया है कि अन्तिम रूप से प्रकाशित मतदाता सूची में कई ऐसे सेवानियोजित मतदाता हैं जो कि मृत, सेवानिवृत हो गए हैं अथवा जिनके द्वारा सेवा से इस्तीफा दिया गया है, उनके नाम अधिक संख्या में अभी भी अंतिम भाग की मतदाता सूची में विद्यमान हैं। **इसलिए सेवानियोजित मतदाताओं की मतदाता सूचियों को साफ–सुथरा बनाने की दृष्टि से संदर्भ तिथि 01 जनवरी, 2017 के क्रम में मतदाता सूचियों को पुनः नए सिरे से तैयार कर इन्हें पुनरीक्षित किया जाना है।** आयोग द्वारा इस विषय में निम्न प्रकार से कार्यक्रम निर्धारित किया गया है।

क्र.सं.	चरण	समयावधि
1.	रिकॉर्ड ऑफिस द्वारा उनके कार्यालय में प्राप्त आवेदन पत्रों की xml files बनाकर अपलोड करना	25 अगस्त, 2017 तक (शुक्रवार)
2.	प्रारूप प्रकाशन	04 सितम्बर, 2017 (सोमवार)
3.	रिकॉर्ड ऑफिस द्वारा प्रारूप मतदाता सूची की जॉच करना तथा संशोधित xml file को निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को अग्रेषित करना	15 सितम्बर, 2017 तक (शुक्रवार)
4.	निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा अतिरिक्त सूची तैयार कना	22 सितम्बर, 2017 तक (शुक्रवार)

5.	रिकॉर्ड ऑफिस द्वारा सार (Extracts) का सत्यापन कर पुनः निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को प्रेषित करना	04 अक्टूबर, 2017 तक (बुधवार)
6.	निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा संशोधन करना	13 अक्टूबर, 2017 तक (शुक्रवार)
7.	अन्तिम प्रकाशन	18 अक्टूबर 2017 तक (बुधवार)

3. जैसा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा संदर्भ तिथि 01.01.2017 के क्रम में सेवानियोजित मतदाताओं की मतदाता सूची De novo (नये सिरे से) तैयार करने के आदेश दिये हैं, इसलिए सभी पात्र सेवानियोजित कार्मिकों द्वारा नए सिरे से यथा स्थिति प्रारूप 2, 2ए एवं 3 में निर्धारित घोषणा पत्र के साथ आवेदन करना अनिवार्य होगा। इस संबंध में समस्त गतिविधियॉ जिनमें **पात्र सेवानियोजित कार्मिकों द्वारा रिकोर्ड ऑफिस/कमाडिंग आफिसर के माध्यम से आवेदन गत पुनरीक्षण की भांति ही इस हेतु निर्धारित केवल ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से की जाएगी।** ऐसे सेवानियोजित कार्मिक जो कि ऑनलाइन पद्धति से आवेदन नहीं कर सकते हैं उन्हें निर्धारित प्रपत्र में हार्ड कॉपी में संबंधित रिकॉर्ड ऑफिसर/कमान्डिग ऑफिसर को आवेदन करना होगा। किसी भी सेवानियोजित कार्मिक द्वारा हार्ड कॉपी सीधे ही निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) अथवा मुख्य निर्वाचन अधिकारी को आवेदन प्रेषित नहीं किये जाएंगे। यदि इन कार्मिकों के इस प्रकार के आवेदन पत्र प्राप्त होते हैं तो वह सेवा नियोजित कार्मिक के लिए नियत राष्ट्रीय नोडल अधिकारी के पते पर लौटायें जावें। **(इस विषय में विस्तृत जानकारी हेतु आयोग के प्रासंगिक पत्र दिनांक 20 जुलाई, 2017 का बिन्दु संख्या 1.1 देखें)**

4. **सेवानियोजित मतदाताओं की मतदाता सूची De novo रूप से तैयार करने के विषय में आयोग द्वारा एक dedicated पोर्टल http://servicevoter.nic.in बनाया गया है। रिकार्ड ऑफिसर/कमान्डिग ऑफिसर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी/निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के मध्य आवेदन पत्रों/सूचनाओं का सम्प्रेषण केवल ऑनलाईन इसी पोर्टल से किया जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को इस पोर्टल पर कार्य करने हेतु वहीं लॉगिन/पासवर्ड होंगे जो कि MIS/PGMRS के लिए निर्धारित है।**

5. सेवानियोजित कार्मिकों द्वारा De novo सेवानियोजित मतदाता सूचियों की तैयारी के संबंध में आयोग के निर्देशानुसार आवेदन पत्र संबंधित रिकोर्ड ऑफिसर/कमान्डिंग आफिसर को ऑनलाइन/ऑफलाइन पद्धति से यथास्थिति प्रस्तुत करना होगा। ऑनलाइन पद्धति से प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों का प्रिन्ट लिया जाकर संबधित रिकार्ड ऑफिस द्वारा सत्यापन किया जाएगा। इसी प्रकार से इन कार्यालयों में ऑफलाईन प्राप्त आवेदन पत्रों का परीक्षण/सत्यापन रिकार्ड से ऑफिसर द्वारा किया जाएगा तथा इन्हें digitize कर पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा। दोनों ही स्थिति में इन आवेदन पत्रों की xml file बनाकर पोर्टल के माध्यम से जिला निर्वाचन अधिकारी/निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को प्रेषित की जाएगी। **(इस क्रम में कृपया आयोग के प्रासंगिक पत्र दिनांक 20.07.2017 के बिन्दु संख्या 1.2 को देखें)**

5.1. निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के पास प्राप्त होने वाले ऑनलाइन आवेदन पत्र के सभी कॉलम सामान्यतया प्रपत्र 2, 2ए एवं 3 के अनुसार होंगे। इसके अतिरिक्त इसमें रिकार्ड ऑफिस द्वारा अतिरिक्त कॉलम भी आवश्यक सूचना अंकित करने हेतु निर्धारित किए गए हैं। रिकार्ड ऑफिस/कमान्डिंग ऑफिस द्वारा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को पोर्टल के माध्यम से आवेदन पत्र प्रेषित करते समय ऐसा सम्भव हो सकेगा कि आवेदन पत्र में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम अंकित नहीं किया गया हो। **अतः इस प्रकार की स्थिति के निराकरण हेतु आयोग के निर्देश हैं कि सभी आवेदन पत्र उक्त पोर्टल के माध्यम से जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) के पास**

प्राप्त होंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी उनके लिए अधिकृत पासवर्ड से लॉगिन कर प्रथमतः आवेदन पत्रों में दिए गए पते के अनुसार विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का निर्धारण करते हुए संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को अग्रेषित करेंगे।

जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष इस समय तीन प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।

5.1.1. ऐसे आवेदन पत्र जिनमें कि विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का कॉलम की स्पष्ट रूप से पूर्ति की गई है। ऐसी स्थिति में जिला निर्वाचन अधिकारी एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा फार्मस को देखा (access) किया जा सकेगा।

5.1.2.. रिकॉर्ड ऑफिसर/कमान्डिग ऑफिसर से अथवा राज्य के अन्य जिलों से प्राप्त होने वाले ऐसे आवेदन पत्र जिनमें विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र नाम अंकित नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का निर्धारण कर संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को अग्रेषित किया जाएगा।

5.1.3. यदि रिकोर्ड ऑफिसर/कमान्डिंग ऑफिसर द्वारा गलत जिला अंकित किया गया है तो संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा इसे संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी को अग्रेषित करना होगा।

5.2. जिला निर्वाचन अधिकारी के पास यदि किसी भी रिकार्ड ऑफिस/ कमान्डिंग आफिसर से पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र नहीं होंगे अथवा ऐसे आवेदन पत्र जिनके आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का निर्धारण किया जाना संभव नहीं है तो ऐसे आवेदन पत्र जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) संबंधित रिकोर्ड ऑफिसर/कमान्डिंग ऑफिसर को अपनी टिप्पणी के साथ लौटाये जाएंगे। इस प्रकार के आवेदन पत्र पोर्टल पर **"रिटर्न लिस्ट"** पर प्रदर्शित होंगे।

6. **निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा आवेदन पत्रों का परीक्षण एवं निस्तारण** – जिला निर्वाचन अधिकारियों (कलक्टर) द्वारा ऑनलाइन पोर्टल पर प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों का विधानसभा क्षेत्र के आधार पर आवंटन करने के पश्चात् निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा निम्न प्रकार से कार्यवाही की जाएगी।

6.1. जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) द्वारा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का निर्धारण करने के पश्चात् उनके विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित प्राप्त सभी आवेदन पत्रों की सूची, ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध रहेगी। पोर्टल पर इस सूची को प्राप्त (access) करने हेतु निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के पासवर्ड एवं लॉगिन वही होगें जो MIS/PGMRS के लिए निर्धारित हैं।

6.2 निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी इस सूची का अवलोकन करेंगे। इसका अवलोकन करनें के उपरान्त उनके समक्ष तीन स्थिति प्रकट हो सकती है।

6.2.1. ऐसे आवेदन पत्र जो कि उनके जिले/विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित हैं ऐसी स्थिति में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी उक्त आवेदन पत्रों का परीक्षण कर आगामी कार्यवाही करेंगे।

6.2.2. जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा त्रुटिवश जिले की अन्य विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के आवेदन पत्रों को आवंटित कर दिया गया है।

6.2.3. जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) द्वारा इसी जिले के अन्य विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के फार्म आवंटित किया गया है तो निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के पास यह सुविधा उपलब्ध है कि वह संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को अग्रेषित कर सकते हैं।

6.3 संबंधित रिकोर्ड ऑफिसर/कमान्डिंग आफिसर द्वारा उनके कार्यालय में प्राप्त आवेदन पत्रों की xml files मय स्केन कॉपी हस्ताक्षरित प्रति विधिवत् सत्यापन के साथ पोर्टल पर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को प्राप्त होगी। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा तुरंत आवेदन पत्रों का परीक्षण करते हुए आगामी कार्यवाही की जाएगी।

6.4 जैसा कि उपर के पैरा में बताया गया है कि निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के पास पोर्टल पर प्राप्त होने वाले xml files के कॉलम शत–प्रतिशत रूप से उसी प्रकार के हैं जैसा कि सेवानियोजित कार्मिकों के लिए निर्धारित प्रपत्र 2, 2ए एवं 3 हैं। तद्नुसार निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा आवेदन पत्रों को स्वीकार/अस्वीकार संबंधित बटन दबाकर इनका पोर्टल पर निस्तारण किया जाएगा।

6.4.1 पोर्टल पर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के समक्ष एक बॉक्स भी उपलब्ध होगा जिसमें उन्हें अस्वीकार करने के कारणों को भी दर्शाना होगा। इस प्रकार के अस्वीकार किए गए आवेदन पत्रों की जॉच सार (Extract) रिकार्ड ऑफिसर/कमान्डिंग आफिसर द्वारा की जाएगी तथा इसमें तद्नसार संशोधन कर पुनः पोर्टल पर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को प्रेषित किये जायेंगे।

6.4.2. निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा स्वीकार किए गए फार्मस प्रारूप मतदाता सूची में सम्मिलित हो जाएंगे तथा अस्वीकार किए गए फार्मस पृथक से सूचीबद्ध होंगे।

6.4.3. किसी भी आवेदन पत्र के विषय में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी रिकार्ड ऑफिसर/कमान्डिंग ऑफिसर के मध्य सम्प्रेषण तब तक रहेगा जब तक कि **ओके बटन** निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा नहीं दबा दिया जाता है।

6.5 निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा पोर्टल पर प्राप्त सभी ऑनलाईन आवेदन पत्रों का निस्तारण उसी प्रकार किया जाएगा जिस प्रकार से ऑफलाईन प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों के क्रम में किया जाता रहा है। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा सेवानियोजित मतदाताओं के पंजीकरण के विषय में उनके सभी नियमों को ध्यान में रखना होगा जो वर्तमान में प्रचलित हैं।

6.6 निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा पोर्टल पर प्राप्त होने वाले सभी आवेदन पत्रों का निस्तारण किया जाएगा। निस्तारित आवेदन पत्रों का विवरण डैशबोर्ड पर रिकार्ड ऑफिस/कमान्डिंग ऑफिस को दिखाई देगा। रिकॉर्ड ऑफिस/कमान्डिंग ऑफिस को यह सुविधा प्रदान की गई है कि वह स्वीकृत/अस्वीकृत आवेदन पत्रों का प्रिन्ट पोर्टल से प्राप्त कर सकते हैं। **निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा आवेदन पत्रों का निस्तारण करने से पूर्व पोर्टल पर प्राप्त आवेदन पत्रों का स्कैन/ई–हस्ताक्षरयुक्त कॉपी का प्रिन्ट प्राप्त करेंगे तथा इसको रिकॉर्ड में सुरक्षित रखेंगे।**

इस विषय में कृपया आयोग के प्रासंगिक पत्र दिनांक 20 जुलाई, 2017 में पैरा 1.2 का अवलोकन करें। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी रिकॉर्ड ऑफिस/कमान्डिंग ऑफिस से पोर्टल पर प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों का निस्तारण करने से पूर्व इन कार्यालयों से कार्यालय के रिकॉर्ड में संधारण करेंगे। आयोग ने इस विषय में यह भी स्पष्ट किया है कि रिकॉड/कमान्डिंग ऑफिस द्वारा उनके कार्यालय में प्राप्त ऑफलाईन/ऑनलाईन विधिवत् सत्यापित आवेदन पत्रों की हार्ड कॉपी 45 दिन में संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को प्रेषित करनी होगी। जिला निर्वाचन अधिकारी/निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी आयोग के इन निर्देशों की पालना सुनिश्चित करें।

6.7 निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन करने की निर्धारित दिनांक के तुरंत बाद इसकी सूचना ईमेल/एसएमएस के माध्यम से रिकॉर्ड आफिस/कमान्डिंग ऑफिस को प्रेषित की जाएगी ताकि रिकार्ड ऑफिस/कमान्ड ऑफिस से संबंधित सेवानियोजित मतदाताओं की मतदाता सूची के सार (Extracts) का अवलोकन कर लें। यदि इसमें किसी प्रकार का संशोधन वांछनीय है तो टिप्पणी अंकित करें तथा निर्धारित तिथि तक अपनी टिप्पणी के साथ संशोधित फार्मस पुनः पोर्टल के माध्यम से निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को प्रेषित किया जा सके। उक्त प्रयोजनार्थ रिकॉर्ड ऑफिस/कमान्डिंग ऑफिस के पास पोर्टल पर यह सुविधा प्रदान की गई है कि वह निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी से प्राप्त होने वाले सार (Extracts) के अनुसार आवेदन पत्रों में "OK" अथवा "Not OK" अथवा उसमें संशोधन कर सकते हैं।

6.7 यदि रिकॉर्ड ऑफिस/कमान्डिंग ऑफिस द्वारा "OK" का बटन नहीं दबाया जाता है तो यह समझा जाएगा कि उनके द्वारा किसी भी आवेदन पत्र में संशोधन नहीं किया गया है तथा यह स्वतः ही निरस्त माने जाएंगे। यदि निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा भेजे गए आवेदन पत्रों/सार (Extracts) में "Not OK" का बटन दबाया जाता है तो तद्नुसार रिकॉर्ड ऑफिस द्वारा आवेदन पत्र संशोधित किए जाएंगे। रिकॉर्ड ऑफिस/कमान्डिंग ऑफिस से आवेदन पत्र पुनः प्राप्त होने पर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा इनकी पुनः जॉच की जाएगी तथा नियमानुसार उनके द्वारा आदेश पारित कर आवेदन पत्रों को अन्तिम रूप से स्वीकार/अस्वीकार किया जाएगा। **इस प्रकिया के पश्चात् ऐसी सभी प्रविष्टियॉं जो कि निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा "OK" की गई हैं वह पोर्टल पर हरे रंग में दिखाई देगी तथा "Not OK" की प्रविष्टियॉं लाल रंग में सुझाए गए संशोधन के अनुसार दिखाई देगी।**

7. निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा निर्धारित दिनांक तक संबंधित रिकॉर्ड रिकॉर्ड ऑफिस/कमान्डिंग ऑफिस से सार (Extracts) प्राप्त होने पर उनके पास आवेदन पत्र स्वीकार/अस्वीकार करने हेतु क्रमशः "OK" एवं "Not OK" के बटन का प्रयोग कर आवेदन पत्रों को अंतिम रूप से निर्धारित दिनांक तक निस्तारण किया जायेगा। इस समय आवेदन पत्रों को अग्रेषित करने का कोई प्रावधान नहीं रहेगा। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी सभी आवेदन पत्रों पर अन्तिम निर्णय लेने के पश्चात आयोग द्वारा निधारित प्रारूप में सेवानियोजित कार्मिकों की मतदाता सूचियों का अन्तिम भाग तैयार किया जाएगा। अन्तिम रूप से प्रकाशित मतदाता सूची पोर्टल पर डेटाबेस फाईल के रूप में उपलब्ध रहेगी। **निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा मतदाता सूची का निर्धारित तिथि में अन्तिम प्रकाशन करने के पश्चात सूचना ईमेल/एसएमएस के माध्यम से रिकॉर्ड ऑफिस/कमान्डिंग ऑफिस में दी जाएगी। अन्तिम रूप से प्रकाशित मतदाता सूची उक्त पोर्टल से ईआरओ/रिकॉर्ड ऑफिस/कमान्डिंग ऑफिस द्वारा डाउनलोड की जा सकेगी।**

8. रिकॉर्ड आफिस/कमान्डिंग आफिस द्वारा पोर्टल पर ऑनलाइन किए गए आवेदन पत्रों के xml files के साथ स्केनकॉपी भी ईआरओ को दी जानी आवश्यक है। यदि रिकॉर्ड ऑफिस द्वारा सत्यापित स्केनकॉपी उपलब्ध नहीं कराई जाती है तो ईआरओ नियमित रूप से रिकॉर्ड ऑफिस/कमान्डिंग ऑफिस को सूचित करेंगे यदि निर्धारित समय सीमा में उक्त स्केनकॉपी प्राप्त नहीं होती है तो ऐसे कार्मिकों का नाम सेवानियोजित मतदाता सूची में सम्मिलित नहीं किये जाएंगे।

9. भारत निर्वाचन आयोग ने यह निर्देशित किया है कि निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा सेवानियोजित मतदाताओं की मतदाता सूची को अन्तिम रूप से तैयार करने के पश्चात् उन्हें मतदाता फोटो पहचान पत्र क्रमांक भी सामान्य प्रक्रिया के अनुसार आवंटित करना होगा। ऐसे सेवानियोजित मतदाता जो कि किसी समय सामान्य मतदाता के रूप में पंजीकृत किए गए थे तथा वर्तमान में सेवानियोजित मतदाता के रूप में घोषणा के साथ आवेदन पत्र किया जा रहा है तो उनसे पूर्व में लिए गए मतदाता फोटो पहचान पत्र का नम्बर प्राप्त किया जाए। उक्त मतदाता फोटो पहचान पत्र की सेवानियोजित मतदाता सूची के साथ मैपिंग की जाएगी जिससे कि दोहरी प्रविष्टियों को हटाया जा सके। **आयोग ने इस विषय में यह भी स्पष्ट किया है कि अन्तिम भाग की मतदाता सूची में पंजीकृत सेवानियोजित मतदाता को मतदाता फोटो पहचान पत्र जारी नहीं किया जाना है। किसी भी स्थिति में शंका होने पर पोर्टल पर उपलब्ध मैन्यूअल (Manual) एण्ड टिप्स (Tips) में देखा जा सकेगा।**

10. सभी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी/मुख्य निर्वाचन अधिकारी अपने स्तर पर यह सन्तुष्टि करेंगे कि अन्तिम रूप से मुद्रित की गई मतदाता सूची प्रारूप मतदाता सूची में रिकॉर्ड ऑफिस का नाम, पता एवं पिन कोड स्पष्ट रूप से अंकित है ताकि निर्वाचन के समय सभी पात्र सेवा नियोजित मतदाताओं को पोस्टल बैलेट पेपर जारी किया जा सकें।

11. जैसा कि आपको विदित है कि सेवानियोजित मतदाताओं की मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के पश्चात् पूरक सूची प्रथम तैयार की जाती है तथा निरन्तर अद्यतन की अवधि में द्वितीय पूरक सूची तैयार की जाती है। इस प्रकार एक वर्ष में सेवानियोजित मतदाताओं की 2 पूरक सूचियॉ तैयार की जाती है। **इन निर्देशों में संशोधन करते हुए आयोग के यह निर्देश है कि वर्तमान में निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 25 अगस्त, 2017 के पश्चात् प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों का निस्तारण लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 23 एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नियम 1960 के नियम 16 के अनुसार निरन्तर अद्यतन की अवधि में मानते हुए किया जाएगा।** प्रत्येक माह में प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों का निस्तारण निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा अगले माह तक किया जाएगा ताकि सेवानियोजित मतदाताओं की मतदाता सूचियॉ निरन्तर रूप से अद्यतन रहें। **(कृपया आयोग के प्रासंगिक पत्र दिनांक 20 जुलाई, 2017 के पैरा 4 को देखें)**

12. मतदाता सूची के De novo के पश्चात् अन्तिम रूप से प्रकाशित मतदाता सूची में नाम का विलोपन दो प्रकार से किया जाएगा। **प्रथमतः** ऐसे सेवानियोजित मतदाता जिनको कि सामान्य मतदाता के रूप में पंजीकृत किया गया है तथा **द्वितीय** ऐसे सेवानियोजित मतदाता जिनकी मृत्यु अथवा सेवा से सेवानिवृत हो गए हैं। ऐसे मतदाता जो कि सामान्य मतदाता के रूप में पंजीकृत हैं उन्हें प्ररूप 6 में आवेदन पत्र के साथ घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा। उक्त घोषणा के आधार पर ही ऐसे सेवानियोजित मतदाताओं का नाम मतदाता सूची से हटाया जाएगा। किसी भी सेवानियोजित मतदाता की मृत्यु अथवा सेवानिवृति होने के पश्चात संबंधित रिकॉर्ड ऑफिस/कमान्डिंग ऑफिस द्वारा निर्धारित प्रपत्र में यह प्रमाण पत्र दिया जाएगा, जिसके आधार पर मतदाता सूची से निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा नाम विलोपन की कार्यवाही की जाएगी। **(कृपया आयोग के प्रासंगिक पत्र दिनांक 20 जुलाई, 2017 के बिन्दु संख्या 3 को देखें)**

13. भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मतदाता सूची का प्रकाशन करने के पश्चात् संदर्भ तिथि 01.01.2017 के क्रम में दिनांक 10 जनवरी, 2017 को अन्तिम रूप से प्रकाशित सेवानियोजित मतदाता सूची स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। इस विषय में सभी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वह वर्तमान में तैयार की गई सेवानियोजित मतदाताओं की मतदाता सूची का **बैकअप** लेकर इसे सुरक्षित रखें।

कृपया उपरोक्त निर्देशों के अनुसार कार्यवाही की जाना सुनिश्चित करावे।

संलग्नः उपरोक्तानुसार

भवदीया,

(डॉ0 रेखा गुप्ता)
अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांकः प.3(3)(3)रोल/निर्वा/सर्विस वोटर्स–2017/2016/ **जयपुर, दिनांक**

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. निजी सचिव, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान, जयपुर।
2. अति0 निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान, जयपुर।
3. समस्त सम्भागीय आयुक्त, (रोल पर्यवेक्षक) राजस्थान।
4. समस्त अधिकारीगण, निर्वाचन विभाग, राजस्थान।
5. संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी (आई.टी.), निर्वाचन विभाग, राजस्थान, जयपुर उक्त दिशा–निर्देश विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने का श्रम करें।

उप निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान, जयपुर।